प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[23/2/2026]

संख्या 12016/25 प्रश्न सं. [क्र.339] (आर.एल.सैल) (541) (596)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 12/09/2014

सेवा में

श्री सचिन्द्र राव,

अवर सचिव,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषय: रजक (धोबी) जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित करने के बाबत।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने दिनांक 02.09.2014 के पत्र क्रमाक एफ23-3/2013/25-4 का सन्दर्भ ग्रहण करे। मध्यप्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 14.07.2006 के द्वारा धोबी समुदाय, जो वर्तमान मे भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में अनुसूचित जाति अधिसूचित है, को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित करने की अनुशंसा की थी। निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को भारत के महारजिस्ट्रार की टिप्पणी के लिए भेजा गया। जिन्होंने अपनी दिनांक 05.03.2007 की रिपोर्ट में प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इस मंत्रालय ने मध्यप्रदेश शासन से दिनांक 08.03.2007 के पत्र द्वारा अनुरोध किया कि महारजिस्ट्रार की टिप्पणी के आलोक मे अपने प्रस्ताव की पुनर्समीक्षा करें या उसके औचित्य मे अतिरिक्त नृजातीय सामग्री उपलब्ध करायें।

मध्यप्रदेश शासन के दिनांक 02.09.2014 के पत्र के साथ संलग्न आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का दिनांक 24.07.2007 का पत्र दर्शाता है कि संस्थान ने महारजिस्ट्रार की टिप्पणी से अपनी सहमति जताते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश के भिन्न – 2 क्षेत्रों मे धोबी समुदाय की सामाजिक स्थिति भिन्न-2 है। अतः धोबी जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे अनुसूचित जाति के रूप मे सम्मिलित करने का पर्याप्त आधार नही है और प्रकरण को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रकरण मे अग्रेत्तर कार्यवाही नही की जा सकती। अतः प्रकरण को समाप्त माना जाए।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 12.9.14

(जी.के. द्विवेदी)

निदेशक

दूरभाष 23385491

File No. 5/1/1/0008/2026-Sec-4-63(SCW) (Computer No. 1078042)
Generated from eOffice by SHANKAR LAL SINGADE, DS(SLS)-SCW(O/oDS), DEPUTY SECRETARY, SCHEDULED CASTE WELFARE on 13/02/2026 01:32 pm